कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 640 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 03 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0:861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/146204/2021)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित FRCM की बैठक दिनांकः–29.05.2023 के कार्यवृत्त के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 29.05.2023 के द्वारा वांछित सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 713/12–1 दिनांक 14.09.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना	आख्या
1	The Proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, It was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 Although a reply was submitted in this response, It appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road. If further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the User Agency has provided a Justification that the farmers are unwilling to give their land in the stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुंग्री को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते है के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है :– **विकल्प 1**– ग्राम विड़ोली से– पूर्व में इस गांव से ग्राम कोलाडुंग्री को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2480/2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर विरोध करने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नही हो पायी। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गावं कोलाडुंग्री को डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06 से जोड़ने हेतु फरवरी 2016 में स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाडुंग्री को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गावं

	the dense forest. After the discussion, it was decided that the State Government, if required, may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.	कोलाडुंग्री को मार्ग निर्माण करना सम्भव नही है। **विकल्प–2** ग्राम फलोटा से– जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है, कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गांव कोलाडुंग्री के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू–भाग का ढाल लगभग 450 है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है जो गांव कोलाडुंग्री के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है उक्त भू–भाग के दोनो ओर तीव्र ढाल वाले भू–भाग है। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिक दृष्टि से ना ही पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, उक्त मार्ग के प्रारम्भिक विन्दु में ग्राम फलोटा ग्राम की सिंचित भूमि आ रही है उक्त गांव पूर्व में ही कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से जुड़ा होने के कारण ग्रामवासी अपनी भूमि देने को तैयार नही है, (विरोध पत्र संलग्न) आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन वैड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूरी आर्म वनने से इस मार्ग से दोनो गांवो को सदैव खतरा वना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच0पी0 वैण्ड की त्रिज्या मानकानुसार न्यूनतम 12मी0 पर मार्ग निर्माण करते है तो प्रत्येक एच0पी0 वैण्ड पर कम से कम 31.5मी0 भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक वहुत वड़ी मात्रा में मलवा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाग पर्यावरण पर पड़ेगा। अतः महोदय ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण किया जाना संभव नही है। उपरोक्त कारणो से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे है, उक्त मोटर मार्ग के संरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण द्वारा भी अपनी संस्तुति दी गयी है। 1– लाभान्वित होने वाला गांव एक राजस्व ग्राम है जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पंहुच से वंचित है। 2– ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम समुल्टा में स्थित है उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चो को उक्त स्कूल पंहुचन में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोडा जाना Obelignatory point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। 3– लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8 किमी0 में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयाजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग –नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 किमी0 एवं सिमली की दूरी 24 किमी0 आयेगी। 4– लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बांगड़ी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम समुल्टा एवं

		ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर वृद्व एवं दिव्यांग जनो को मतदेय स्थल पर पहुंचने में सुविधा होगी। 5– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता विशेष कर वृद्व व्यक्तियो एवं द्विव्यागो को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट आफिस पंहुचने में सुविधा प्राप्त होगी। 6– प्रस्तावित सरेखण में कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिनमें से 118 वृक्ष चीड़ प्रजाति के है। तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग एक विरल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल में गांव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है वह अभी भी गांव को नही जोड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणो के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है, (ग्रामीणो एवं सम्बन्धित कास्तकारो का आपत्ति पत्र संलग्न है) इस बिन्दु से गांव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250मी0 है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहां से लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री को पंहुच सुलभ है एवं ग्रामीणो को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नही है। अवगत कराया गया है कि उक्त गांव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंग्री को अनापत्ति प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणो द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नही है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

03/10

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–642/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।